निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 चैत्र 1944 (श0)

(सं0 पटना 221) पटना, सोमवार, 11 अप्रील 2022

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

08 अप्रील 2022

एस0ओ0–90, दिनांक 11 अप्रील 2022––भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा–22(एच) सह पठित बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त्तें विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम 284(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निबंधित निर्माण कामगारों एवं उनके आश्रितों के हितार्थ संचालित **नकद पुरस्कार योजना** में निम्नवत् संशोधन करती है:–

अधिसूचना संख्या–बी.सी.डब्लू.सी.–171/2018–112/श्र0सं0 दिनांक–26.02.2019 के कंडिका– (4) में वर्णित ''नकद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उत्तीर्णता वाले वित्तीय वर्ष के अंतिम माह (माह मार्च) तक अंक पत्र के साथ विहित प्रपत्र में आवेदन करना आवश्यक होगा'' को **''नकद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अंक पत्र के निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक अंक पत्र के साथ विहित प्रपत्र में आवेदन करना आवश्यक होगा''** द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

यह अधिसूचना शैक्षणिक सत्र 2021–22 से प्रभावी होगी।

उपरोक्त योजना के लिए अन्य शर्त्तें पूर्ववत् रहेगी।

(सं० बी0सी0डब्लू0सी0–171/2018 श्र0सं0–224)

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजेन्द्र कुमार मिश्रा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

08 अप्रील 2022

एस0ओ0–90, दिनांक 11 अप्रील, 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्य के प्राधिकार से इस के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(सं० बी0सी0डब्लू0सी0–171/2018 श्र0सं0–224)

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजेन्द्र कुमार मिश्रा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

Dated 08th April, 2022

S.O. 90, ***dated 11th April, 2022***--In exercise of the power conferred by section 22(h) of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 and Bihar Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment & Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2016, the Government of Bihar makes amendment in **Cash Award Scheme**for the welfare of registered construction workers and their dependents as below :-

As described in Sl. No.- (4) of Notification No.-B.C.W.C. 171/2018 – 112/LR dated – 26.02.2019, "An application in Form-XLIII shall be submitted with the mark sheet of the Board upto the last month (March) of the financial year of passing the examination" is replaced by **"An application in prescribed format shall be submitted with the mark sheet of the Board up to a period of one year from the date of issue of mark sheet."**

This notification will be effective from academic session 2021-22.

Other conditions in respect of the above scheme will remain same.

(No. BCWC-171/2018 LR-224)
By order of the Governor of Bihar,
Gajendra Kumar Mishra,
Joint Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 221-571+10-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in